

बेल नं० आर. 19443/2025
आदेश

04.10.2025

01— यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **महेन्द्र** की ओर से **मु०अ०सं० 479/2025** अन्तर्गत धारा **281, 125(ए) 125(बी)** बी.एन.एस. थाना **सिविल लाईन** के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया।

02— अभियुक्त ने आज ही न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है।

03— जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर अपराध जमानतीय होना अंकित किया है।

04— सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। अभियोजन कथनानुसार अभियुक्त के विरुद्ध अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त द्वारा अंकन **पच्चीस हजार** रुपये का पी०बी० व इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बदायूँ।